स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

वर्ष-2021

विवरण-पुस्तिका

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : **20.06.2021**

LIST OF DOCUMENTS
प्रमाण पत्रों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक - विवरणी	व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो ।	सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत।
2.	*जाति प्रमाण पत्र	Non Creamylayer सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
3.	चरित्र प्रमाण पत्र	जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य।
4.	*आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है।)	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
5.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in prescribed proforma.for Current Finaincial Year. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत।
6.	हाल का खिचा गया फोटोग्राफ	स्वहस्ताक्षरित फोटो।
7.	बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र	स्थायी निवास के अंचाधिकारी द्वारा निर्गत।
8.	स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
9.	दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र।	प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत।
10.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	सम्बन्धित एवं सक्षम पदाधिकारी (प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत ।
11.	विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संर्बधित प्रमाण पत्र।	सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत।

*** *NOTE* : To be furnished, wherever applicable.**

विवरण–पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार) के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

----

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- 1090(17) दिनांक 25.11.2020 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) तथा बिहार चिकित्सा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमवाली–2008 व संशोधित नियमावली–2013 के अन्तर्गत पैनल निमार्ण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

(क) **पदों की कोटिवार संख्या :** कुल पदों की संख्या–1797 हैं। रिक्त पदों की विषयवार / कोटिवार विवरणी हेतु विवरण पुस्तिका का परिशिष्ट–1 देखें।

वेतनमान : टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरान्त चिकत्सक शिक्षकों को वेतनमान लेबल–9 एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहें है, वही वेतन मँहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होगा।

(ख) **शैक्षणिक यौग्यता :**

सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाद्यिलयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये चिकित्सकों से भरा जायेगा तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो। सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पदों के लिए न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी। सुयोग्य उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यत डिप्लोमा होगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुरूप समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी चयन के पात्र होंगे।

1.1 **राष्ट्रीयता :**

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 **आयु–सीमा :**

सामान्य प्राशासन विभाग के संकल्प संख्या–294 दिनांक 07.01.2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना दिनांक 01.08.2020 के आधार पर की जायेगी ।

अधिकतम आयु – अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनारक्षित (महिला)–40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)–42 वर्ष ।

परन्तु नियमवाली में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिये उम्र सीमा में कोटिवार 05 वर्षो की छूट दी जायेगी।

1.3 **आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :**

(i) नियुक्ति के लिए ऑन–लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को चालू वित्तीय वर्ष का क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नही करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है।

(iv) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।

(vi) महिला / दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता /पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

1.4 **<u>दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नतिनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-</u>**

निम्नलिखित दोनों आरक्षिण क्षैतिज होगा।

i. दिव्यांगजनों के लिए 63 पदें (किसी भी कोटि से 4%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1)।

ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी के लिये 27 पदें (किसी भी कोटि से 2%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1)।

2. **टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें:**

i विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-1 में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियाँ इस पैनल से भरी जायेगी।

ii वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नात्तोकतर उपाधि प्राप्त है, एवं उन सभी विषयों के लिये यदि वे आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग-अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख Online आवेदन में करना होगा। एक बार किसी विषय में चयनित आवेदक का किसी भी परिस्थित में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता MCI से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नही किया जायेगा।

iii. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों को निम्नरूपेण मूल्यांकन हेतु आवंटित किया जायेगा-

(क) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-

70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1

नोट : एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांकों के कुल योग की गणना, सम्बन्धित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उर्त्तीणता के अंको का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक।

70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1 ।

नोट : आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में प्राप्तांकों की गणना अनुत्तीर्णता एवं उर्त्तीणता अंको का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ग) स्पेशियलिटी में एम0डी0 / एम0एस0 - 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी0एच0डी0 / डी0एम0, एम0सी0एच0 - 10 अंक

(ङ) बिहार राज्य के अन्तर्गत सरकारी / अर्द्धसरकारी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक

नोट : सरकारी क्षेत्र में नियमित / संविदागत कार्यानुभव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम / फेलोशिप / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के कार्यानुभव के आधार पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी।

(च) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नही दिया जाएगा। ऐसे एम0आर0सी0पी, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 एवं उसके बाद प्राप्त किये गए हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जएगा।

iv विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिये 01(एक) अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों वे इस पैनल हेतु पात्र नही होंगे।

v नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 16 (सोलह) होगा।

vi यदि किसी विषय या विभाग में एक या दो ही रिक्तियाँ उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में BHS/ PGS/ PGO में से अधिकतम अंक पानेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

vii जिन चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलम्बित हो अथवा लम्बे अवकाश में हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।

viii ट्यूटर / सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर पूर्व में नियुक्ति / एवं कार्यरत चिकित्सक पुनः आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को एक शपथ-पत्र मूल रूप से साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने पूर्व में आवेदित विषय में M.C.I. से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / संस्थान में सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नही किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

ix चयनोपरान्त पदस्थापन सम्बन्धी विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

x पूर्व में सीनियर रेजिडेन्सी कर चुके अथवा वर्तमान सीनियर रेजिडेन्सी कर रहे चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

xi कॉउन्सेलिंग हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नही होगा।

xii बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित सहित) चिकित्सा संस्थानों का कार्यानुभव मान्य होगा। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।

xiii स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1795(2) दिनांक 18.10.2019 एवं पत्रांक- 1749 / दिनांक 14.10.2019 के नियमानुसार फॉर्मूला के आधार पर CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंको में परिवर्तित किया जायेगा।

3. **साक्षात्कार शुल्क :**

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ : **Rupees 2250/- (Two thousand two hundred fifty).**

4. **Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :** राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुतक्त हेतु पैनल निमार्ण में सम्मिलित होने के लिये विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। **Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाईट पर जा कर "Online Portal of Senior Resident / Tutor under Health Dept." Link पर Click करने के पश्चात् "Apply for Senior Resident / Tutor" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।**

i. Step-One (Registration) :
इस परीक्षा हेतु Registration (निबंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा । अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहें हों, क्योंकि Registration से संबंधित सूचनाएं उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा । साथ ही साथ अभ्यर्थी को एक SMS प्राप्त होगा । प्राप्त किये गये email एवं sms में एक Activation Code भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने के लिए करेंगे । अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने हेतु Activate Your Account बटन पर Click करें एवं अपना email ID एवं प्राप्त किये गये Activation Code को डालने के बाद Submit बटन पर Click करें। Account Activate होने के बाद अभ्यर्थी Sign In बटन पर Click करें एवं अपना Email ID एवं Password डालकर Sign In कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें । आवेदन प्रपत्र में भरे गए Password की गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । **अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा ।**

ii. Step-Two (Personal Information) :
सफलतापूर्वक Registration एवं अपने Account को Activate कर पुनः अपने Account में Sign In करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Save & Continue बटन पर Click करें ।

iii. Step-Three (Upload Photo & Signature) :
Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन / श्वेत-श्याम पासपोर्ट साईज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें । फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है । निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Save & Continue बटन पर Click करें ।

iv. Step-Four (Educational Information) :
Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Save & Continue बटन पर Click करें ।

v. Step-Five (Preview your Application) :
Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें । यदि जांच के क्रम में Step-

Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुन: दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएं सही है तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें ।

vi. **Step-Six (Payment of Examination Fee) :**

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदन शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें । जमा किये गये आवेदन शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

आवेदन शुल्क जमा करने की निम्नांकित प्रक्रियाएं हैं ;

a. **Online Payment :** अगर अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Online Option को Select कर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करें । आवेदन शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा ।

b. **उपरोक्त विधियों से आवेदन शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;**

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ कोटि के उम्मीदवार के लिए **2250/-** (Two thousand two hundred fifty) रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा ।

vii. **Step-Seven (Download Hard Copy) :** पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एंव समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉउन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

नोट : (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।

(b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।

(c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा ।

(d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । अत: अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे ।

viii. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 22.06.2021 से दिनांक 23.06.2021 तक दिया जाएगा।

(ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क जमा कर दिया हो ।

(iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सके एवं पुन: Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

5. प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों की सूची पर्षद के Website: **bceceboard.bihar.gov.in** पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

6. **मेधा सूची (Merit List) :**

प्रत्येक पद के लिए, पदवार / कोटिवार मेधा-सूची, उम्मीदवारों द्वारा अपने पद-संवर्ग में कंडिका-2 के अनुसार प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। स्थिति अनिर्णायक हो तो जिस उम्मीदवार की आयु ज्यादा हो, उसका मेधाक्रम ऊपर रहेगा।

7. **काउन्सेलिंग / मूल प्रमाण पत्रों की जाँच:**

(i) मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधाक्रमानुसार, कॉउन्सेलिंग / मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के लिये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा बुलाया जायेगा और उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जायेगी। इस कॉउन्सेलिंग एवं प्रमाण-पत्रों के जांच के उपरान्त, निर्णयानुसार जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जायेगा, उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जायेगा।

(ii) कॉउन्सेलिंग / मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के सम्बन्ध में समय, तिथि एवं स्थान की जानकारी, मेधा-सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से / समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी। निर्धारित तिथि / समय पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य करार कर दिया जाएगा।

8. **<u>सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर की नियुक्ति-2021 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :-</u>**

(i)	Online Registration Starting Date	: 07.06.2021
(ii)	Online Registration Closing Date	: 20.06.2021 (11.59 P.M.)
(iii)	Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card after submission of the Online Application Form of Registered Candidate.	: 21.06.2021 (11.59 P.M.)
(iv)	Online Editing of Application Form	: 22.06.2021 to 23.06.2021(11.59 P.M.)
(v)	Date of publishing / Uploading of Provisional Merit List	: To be notified later on
(vi)	Date of Receipt of Objections	: To be notified later on
(vii)	Proposed Date of Counselling / Document Verification	: To be notified later on
(viii)	Date of Publishing / Uploading of Final Merit List	: To be notified later on

9. अन्य निदेश :

i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगी । किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा।

ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा । इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

iii. किसी उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

vi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

vii. विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित सम्बन्धित किसी भी नियम / सूचना / प्रावधान को संशोधित / विलोपित / परिवर्तित करने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को कॉउन्सेलिंग से यथा साध्य पहले या कॉउन्सेलिंग के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।

viii. इस पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।

ix. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा।

x. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।

xi. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त कॉउन्सेलिंग में मूल प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण-पत्र होने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द एवं उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

परिशिष्ट-1

अधियाचित पदों की विवरणी

पद का नाम : सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनारक्षित (1)		अनुसूचित जाति (2)		अनुसूचित जनजाति (3)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (4)		पिछड़ा वर्ग (5)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (6)		पिछड़ा वर्ग की महिला (7)	कुल रिक्त पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातिनी को 2%	दिव्यांग को 4%			
		कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या				वा. आई.	आ. एच.	डा.डी.	एम. डी.
1	एनाटॉमी	25	8	13	4	1	0	15	5	8	3	6	2	3	71	1	1	0	1	1
2	निश्चेतना	54	20	26	8	2	1	29	9	19	6	13	4	5	148	3	1	2	2	1
3	बायोकेमिस्ट्री	27	9	13	4	1	0	15	5	9	2	7	2	2	74	1	1	0	0	1
4	दंत रोग	0	0	5	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
5	नेत्र रोग	23	9	12	3	1	0	12	3	9	2	6	1	2	65	1	1	0	1	0
6	नाक, कान एवं कला विभाग	18	6	11	3	1	0	12	2	8	2	4	1	2	56	1	1	0	1	0
7	एफ.एम.टी.	30	10	12	4	1	0	14	5	9	3	7	2	2	75	1	0	1	1	1
8	माइक्रोबायोजॉजी	15	5	13	2	1	0	16	3	9	1	4	1	3	61	1	0	0	1	0
9	औषधि	31	11	16	5	1	1	19	5	10	3	8	2	3	88	2	1	1	1	1
10	हड्डी रोग	9	2	9	1	1	0	10	1	0	0	2	1	2	33	0	0	1	0	0
11	स्त्री रोग एवं प्रसव	19	7	14	3	1	1	12	3	6	2	5	1	1	58	1	1	0	1	0
12	मनोरोग	26	10	12	3	1	0	12	3	9	3	7	1	2	69	1	0	1	1	1
13	फिजियोलॉजी	21	8	12	4	1	0	15	4	9	3	5	1	3	66	1	1	0	1	0
14	फर्माकोलॉजी	20	7	13	3	1	0	13	4	8	2	5	1	3	63	1	1	0	1	0
15	पी.एस.एम.	20	7	14	4	1	0	16	4	9	2	5	2	2	67	1	1	0	1	0
16	पैथेलॉजी	25	8	16	3	1	0	19	5	12	2	6	2	3	82	1	0	1	0	1
17	शिशु रोग	25	7	15	4	1	0	14	5	2	1	5	2	3	65	1	1	1	0	1
18	पी.एम.आर.	26	8	10	4	1	0	12	4	7	2	6	2	2	64	1	0	1	1	0
19	रेडियोलॉजी	33	10	15	5	1	0	16	6	11	3	8	3	3	87	1	1	1	0	1
20	सर्जरी	17	5	14	2	1	0	12	2	0	0	4	1	3	51	1	0	1	1	0
21	चर्म एवं रति रोग	22	6	12	3	1	0	13	3	8	2	5	2	2	63	1	0	1	0	1
22	टी.बी. एवं चेस्ट	30	11	12	4	1	0	13	4	9	3	8	2	3	76	2	0	1	1	1

23	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी (सुपर स्पेशलिटी)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
24	कार्डियोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	14	5	6	2	1	0	7	2	4	1	4	1	1	37	0	1	0	0	0
25	इन्डोक्रईनोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
26	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
27	जेरियाट्रिक्स	14	5	6	2	1	0	7	2	4	1	3	1	1	36	0	1	0	0	0
28	न्यूरो सर्जरी (सुपर स्पेशलिटी)	13	5	6	2	1	0	6	2	5	2	4	1	1	36	1	1	0	1	0
29	न्यूरोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	14	5	6	2	1	0	7	2	4	1	3	1	1	36	0	1	0	0	0
30	नेफ्रोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	13	5	6	2	1	0	7	2	4	1	4	1	1	36	0	1	0	0	0
31	नियोनेटोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
32	प्लास्टिक सर्जरी (सुपर स्पेशलिटी)	14	5	6	2	1	0	6	2	4	1	4	1	1	36	1	1	0	1	0
33	शिशु सर्जरी (सुपर स्पेशलिटी)	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
34	यूरोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
35	रेडियोथेरापी (सुपर स्पेशलिटी)	30	11	12	4	1	0	13	4	9	3	7	2	2	74	1	1	1	1	0
	कुल	**635**	**220**	**338**	**92**	**30**	**3**	**371**	**101**	**206**	**57**	**155**	**44**	**62**	**1797**	**27**	**19**	**14**	**19**	**11**

नोट : विषयवार / कोटिवार पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्त्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग के समय सूचित कर दिया जाएगा।